

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

राज. सरकार जरिये सरपंच ग्राम पंचायत, पुनावली

बनाम

महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, बडीसादडी

प्रकरण संख्या 11/2019 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.09.24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगराकार आज भी बावजूद सूचना अनुपस्थित। रूक-रूक कर तीन चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी निगराकार तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। अधिवक्ता निगराकार प्रकरण में दिनांक 24.07.2024 से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। अधिवक्ता निगराकार को पेशी दिनांक 16.08.2024 पर अनुपस्थित रहने पर न्यायहित में अन्तिम अवसर देते हुए निर्देशित किया गया था कि आगामी पेशी पर अनुपस्थित रहने पर कोई अवसर देय नहीं होकर पत्रावली खारिज कर दी जावेगी फिर भी अधिवक्ता निगराकार आज भी उपस्थित नहीं हुए हैं अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं हैं। पुनः न्यायालय समय में रूक-रूक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी निगराकार तथा उसके अधिवक्ता में से कोई भी उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ संबंधित को प्रेषित की जावे।</p> 	